राजस्व अपील संख्या 539/2022

अनवान

चतुराराम वगैराह राज0 तहसीलदार, सेतरावा वगैराह

दिनांक 11–10–2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देचू जिला जोधपुर के द्वारा आदेश क्रमांक प्र0ग0सं0 /फोलोअप कैम्प/ 2022/ 203 दिनांक 23.06.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ होने से अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2022 का अवलोकन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात इत्यादि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया। जिसके आधार पर अपीलांट की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देचू जिला जोधपुर के द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 23.06.2022 के क्रम मे प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर तहसीलदार, सेतरावा को निर्देशित किया जाता है कि वे उभय पक्षकारान की उपस्थिति में मौका जॉच करे तथा पक्षकारान के रूबरू मौका जॉच/मौका फर्द एवं मौका नक्शा तैयार करे। तदनुसार पक्षकारान की सुनवाई पश्चात प्रकरण का निस्तारण किया जावें। कोई भी पक्ष कदीमी रास्ता बन्द नहीं करें। उक्त निर्देशो के साथ हस्तगत अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति0 संभागीय आयुक्त,
जोधपुर